न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 437 सन 2018
अनवान :–

1. भूपसिह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
2. रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र पिदमणराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. इन्द्रवती पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. तीजा 7 रोशनी 8 कमला 9 शारदा उर्फ गोमती पुत्रीया मनीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा खरसण्डी के खाता संख्या 86/83 के खसरा न0 20/3 की 1.4040हैक भूमि खसरा न0 36/1 की 3.7810हैक कुल 5.1850हैक भूमि स्थित है जिसके मनीराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी खरसण्डी खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 299/286 के कुल 11.8110हळैक भूमि सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा भूमि मनीराम पुत्र मामराज खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मनीराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई थी जिन्होने आपसी सहमति से विभाजन करने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 86/63 की 5.1850हैक भूमि हिस्से में आई एवं रोही मोजा मेधाना के खाता संख्या 299/286 की कुल 11.8110हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा में आई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मोजा मेधाना की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा की भूमि रोही मौजा मेधाना की है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि रोही मौजा खरसण्डी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया हुआ है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 86/83 की कुल 5.1850हैव भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 299/286 की कुल 11.8110हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official